ब्रैस्ट फीडिंग प्रोमोशन नेटवर्क ऑफ इण्डिया (बी.पी.एन.आई.)
शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम सम्बन्धी दिशा निर्देश

शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम (IMS Act) के अन्तर्गत क्या प्रतिबन्धित है ?

शिशु दुग्ध अनुकल्प अधिनियम क्यों ?

शिशु दुग्ध अनुकल्प/फार्मूला एवं शिशु खाद्य तैयार करने वाली विभिन्न कंपनियों द्वारा अनुचित तरीके से विशेष रूप से विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पाद का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे स्तनपान का महत्त्व कम हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप शिशुओं में होने वाली बीमारियाँ, कुपोषण एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिशु दुग्ध अनुकल्प आहार के उपयोग से कुपोषण एवं बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। जन स्वास्थ्य की बड़ी समस्या के रूप में इसे चिह्नित करते हुए, भारत सरकार ने 1992 में शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल तथा शिशु आहार (उत्पादन, संभरण और वितरण का विनियमन) अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु आहार के उत्पादन, संभरण और वितरण नियन्त्रित करता है।

इस अधिनियम के बावजूद शिशु आहार तैयार करने वाली कंपनियाँ इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रह गई कमियों (Loopholes) का फ़ायदा उठाते हुए अपने उत्पाद को बाज़ार में बेच रही हैं। इसके परिणामस्वरूप दूध पिलाने वाली माताओं का मनोबल प्रभावित हो रहा है, जिससे स्तनपान का महत्त्व जहाँ कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ घर में तैयार किए गए भोजन के उपयोग में भी कमी आ रही है।

बी.पी.एन.आई. द्वारा अधिनियम का विश्लेषण किया गया। इस अधिनियम के महत्त्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं-

1. दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी निर्माता द्वारा डिब्बाबंद शिशु आहार को बढ़ावा देना

शिशु आहार तैयार करने वाली कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगातार शिशु आहार खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसके लिए कंपनियाँ परिवारों में सीधे या डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुँच बनाती हैं। स्वास्थ्य सेवा तंत्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचना कंपनियों के लिए ज़्यादा आसान तरीका है। उदाहरण के लिए डॉक्टर अपने नुस्खों में इस तरह के उत्पाद का परामर्श देते हैं, जब कि यह अनावश्यक होता है।

यह अधिनियम उन सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को प्रतिबंधित करता है, जो दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया गया है।

2. किसी भी मीडिया में सभी तरह के विज्ञापन

किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने में विज्ञापनों की अहम भूमिका होती है। इसमें प्रिंट मीडिया जैसे- मैग्ज़ीन एवं अखबारों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन विज्ञापनों में ऐसी भावुक करने वाली लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे माताएँ प्रभावित और संचालित होती है।

यह अधिनियम कम्पनियों द्वारा

प्रिंट मीडिया-अखबारें, पत्रिकाएँ, विज्ञापन पट्ट, पैम्फ़लेट इत्यादि,

इलैक्ट्रोनिक मीडिया-टी.वी., केबल टी.वी., एस.एम.एस., रेडियो इत्यादि,

या अन्य किसी साधन के माध्यम से दिए गए सभी तरह के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है।

3. माताओं एवं स्वास्थ्यकर्मियों को उपहार एवं मुफ़्त सैम्पल प्रदान करना

माताओं की सोच-समझ को प्रभावित करने के लिए कंपनियों द्वारा माताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मुफ़्त सैम्पल एवं उपहार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पाद के साथ-साथ कुछ ऐसे उपभोक्ता वस्तुएँ, जैसे - साबुन, कटोरियाँ इत्यादि भी शिशु आहार, बोतलों के साथ दिए जाते हैं। इस तरह के प्रोत्साहन से न सिर्फ़ स्तनपान की महत्ता कम होती है, बल्कि उद्योग के लिए नए उपभोक्ता भी तैयार होते हैं।

यह अधिनियम गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, चिकित्सकों एवं नर्सों को दिए जाने वाले सभी तरह के सैम्पल एवं उपहारों के वितरण को प्रतिबंधित करता है।

किसी भी माध्यम से गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों की माताओं से, अस्पताल, घर या बाज़ार में संपर्क करना, **इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित है।**

4. शैक्षणिक सामग्रियों, साज़ो-सामान या बच्चों के आहार का मुफ़्त वितरण

कम्पनियाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से प्रायोजित करके कई ऐसी शैक्षणिक साम्रगियों का प्रकाशन करती है, जिनसे स्तनपान के महत्त्व पर विपरीत असर पड़ता है।

यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवा तंत्र एवं माताओं को शिशु खाद्य तथा शैक्षणिक सामग्रियों के मुफ्त वितरण एवं दान में दिए जाने को प्रतिबंधित करता है।

5. शिशु आहार के डिब्बों पर माँ एवं बच्चों का चित्र-

कम्पनियाँ अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद के पैकेटों पर कुछ खास तरह के कार्टून जैसे- टेडी बीयर, चिड़िया इत्यादि के रेखाचित्र का इस्तेमाल करती है। इसी तरह से माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वस्थ बच्चों के चित्र या ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तरह के चित्र/रेखाचित्र डिब्बों के लेबल पर माताओं की भलाई के लिए दी गई जानकारियों को छिपाने का काम करते हैं।

यह अधिनियम, शिशु आहार के डिब्बों पर माँ या बच्चे या दोनों के चित्र या रेखाचित्र लगाने को प्रतिबंधित करता है।

6. स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंदर प्रायोजन करना और कम्पनियों के उत्पादों को पोस्टरों के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित करना।

यह देखा गया है कि कंपनियाँ माताओं तक पहुँचने के लिए स्वास्थ्य सेवा तंत्र का उपयोग करती हैं। प्राय: ऐसा देखा गया है कि कंपनियाँ गलत एवं महत्त्वहीन सूचनाओं से लैस शैक्षणिक सामग्रियों (उदाहरणतया रोग प्रतिरोधक टीकाकरण कार्ड) का इस्तेमाल डॉक्टरों को प्रभावित करने के लिए करती हैं ताकि चिकित्सक की सलाह पर माताएँ उन उत्पादों को खरीद सकें।

इसके अतिरिक्त शिशु आहार तैयार करने वाली कम्पनियाँ - डॉक्टरों के लिए व्यावसायिक संगोष्ठियाँ, बैठकें, शोध एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रायोजित करती हैं। इसी तरह से अस्पतालों एवं दवा की दुकानों के होर्डिंग का प्रायोजन भी कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है।

यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवा तंत्र के इस तरह के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जिसके अन्तर्गत आते हैं -

(1) पोस्टरों, इश्तिहारों इत्यादि का प्रदर्शन या उत्पाद को बढ़ावा देने वाली सामग्रियों का अस्पताल परिसर या दवा दुकान के माध्यम से वितरण।

(2) किसी स्वास्थ्यकर्मी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे देना।

(3) संगोष्ठियों, चर्चाओं, कार्यशालाओं, शैक्षणिक कोर्सों, प्रतियोगिताओं, फ़ैलोशिप एवं शोध कार्यों को प्रायोजित करना या उसके लिए धनराशि प्रदान करना।

7. उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को कमीशन

प्राय: यह पाया जाता है कि कंपनियाँ अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को बिक्री का लक्ष्य देती हैं और उसी लक्ष्य के आधार पर कमीशन का निर्धारण भी किया जाता है।

यह अधिनियम इन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों को कमीशन देने को प्रतिबन्धित करता है।

हम क्या कर सकते हैं ?

कम्पनियों के व्यवहार/चरित्र पर नज़र रखना

कम्पनियों पर नज़र रखें एवं किसी भी तरह के उल्लंघन की शिकायत अपने क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों एवं पत्र द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से करें।

इस अधिनियम के किसी प्रावधान का केबल टी.वी. के माध्यम से उल्लंघन हो रहा है तो केबल टी.वी. ऑपरेटर को कहें कि इसका प्रसारण रोक दे और इसकी सूचना ज़िला कलक्टर, सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को दे।

कम्पनियों द्वारा किसी अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ़ कम्पनियों को पत्र के माध्यम से सूचित करना तथा उसके विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन करना।

The Central Government hereby authorises the following volutary organisations engaged in the field of child welfare and development and child nutrition to make a complaint in writing under the said section, namely :-

Addresses :

1. Central Social Welfare Board,
   Samaj Kalyan Bhawan, B-12, Tara Cresent,
   Insitutional Area, South of IIT, New Delhi - 110016.

2. Indian Council for Child Welfare,
   4, Deen Dayal Upadhaya Marg,
   New Delhi - 110002.

3. Association for Consumer Action on Safety and Health (ACASH),
   Room No. 21, Lawyer's Chambers,
   R.S. Sapra Marg, Bombay - 400002.

4. Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI),
   BP-33, Pitampura, Delhi-34.

बी.पी.एन.आई. रोहतक शाखा द्वारा अनुवादित एवं प्रकाशित